उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एव बाल विकास अनुभाग–3
संख्या 614 /60–3–12–2रिट/08
लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–136/60–3–11–11(02 रिट)/08 टी0सी0 दिनांक 01.0: द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन (सिविल) नं0–659/2007 दि इन्वायरमें एण्ड कामन प्रोटेक्शन फाउण्डेशन आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया एंव अन्य में पारित आदेशो अनपुालन में वृन्दावन जनपद मथुरा में निवास कर रही अशिक्षित एंव अत्यन्त वृद्ध महिलाओं को पे का फार्म भरने, बैंक में खाता खुलवाने, बैंक से पैसा निकालने तथा बैंक पासबुक अद्यावधिक कार्य करवाये जाने में सहयोग प्रदान करने एंव उनकी सभी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला प्रोबे अधिकारी, मथुरा एंव जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा की संयुक्त समिति का गठन किया है । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सिविल नं0 659/2007 सम्बद्ध रिट पिटीशन (सिवि संख्या–133/2012 दि इन्वायरमेन्टल एण्ड कामन प्रोटेक्शन फाउण्डेशन आदि बनाम यूनियन 3 इण्डिया एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.12 द्वारा आश्रय सदनों में निवासरत महिलाओं समुचित भोजन एंव स्वच्छ पानी की आपूर्ति की देखरेख हेतु संयुक्त समिति को आदेश दिया है ।

2– मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.12 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वा प्रत्येक आश्रय सदनों में निवासरत महिलाओं के भोजन व्यवस्था हेतु सामूहिक मेस (भोजन व्यवस्था हेतु) स्थापित कराया जायेगा । यह समिति आश्रय सदनों में निवासरत महिलाओं को f जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एंव पौष्टिकता का भी पर्यवेक्षण करेगी ।

3– संयुक्त समिति मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किये जाते हैं उन समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होगी।

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या 614(i)/60–1–12–2रिट/08 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त, आगरा ।

2– जिलाधिकारी, मथुरा ।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 ।
4– निदेशक, महिला कल्याण / प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लखनऊ ।
5– मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा ।
6– जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा ।
7– जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा ।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव ।